प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक 11.07.2022**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा करतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रयोग/प्रदर्शन न किया जाये। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-हर्ष पुत्र प्रमोद निवासी पट्टी देशू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-निखिल पुत्र प्रवीन निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडौत

2- है0का0 422 राजन सिंह थाना बडौत
3- का0 513 विपिन कुमार थाना बडौत
4- का0 542 मोहित सैनी थाना बडौत
5- का0 1058 शरद यादव थाना बडौत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत दिनाँक 11.07.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 503/22 धारा 498ए/323/504/354/354बी/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 503/22 धारा 498ए/323/504/354/354बी/ 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सन्नी राठी पुत्र रविन्द्र राठी निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अभिषेक सिहं थाना बडौत

2-का0 738 बालकिशन थाना बडौत

प्रेस नोट

थाना छपरौली **दिनाँक 11.07.2022**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 151/22 धारा 323/504/506/509/306 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 25.05.2022 को थाना छपरौली पर वादी श्री महक सिंह पुत्र विजे सिंह निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली द्वारा दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 151/22 धारा 323/504/506/509/306 भादवि पंजीकृत हुआ था। अभियोग की विवेचना पूर्व में गठित एसआईटी टीम बागपत द्वारा की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 151/22 धारा 323/504/506/509/306 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में एसआईटी टीम बागपत व थाना छपरौली पुलिस द्वारा पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राजू पुत्र कांति प्रसाद निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना छपरौली

2- है0का0 72 कमल सिंह थाना छपरौली

3- का0 1062 मनोज कुमार थाना छपरौली

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 11-07-2022**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 181/2022 धारा 377/506 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट में वांछित एक बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के **मु0अ0सं0 181/2022 धारा 377/506 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट** में वांछित एक बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार।

2-उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह।

3-का0 19 सोनित कुमार।

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक 11.07.2022**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 177/22 धारा 452/354/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

दोघट पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 177/22 धारा 452/354/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- कृष्णपाल पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उप0नि0 श्री नत्थुलाल थाना दोघट
2- का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक 11.07.2022**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 176/2022 धारा 354/354ख/376/511 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

दिनांक 10.07.2022 को थाना दोघट पर वादी, उसके परिजनों व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत को पकडकर थाने लाया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त सोनू के विरूद्व थाना दोघट पर मु0अ0सं0 176/22 धारा 354/354ख/376/511 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना दोघट पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 922 अनुज कुमार।

2-एच जी 422 सहदेव

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक 11.07.2022**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 175/22 धारा 452/354/323 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 175/22 धारा 452/354/323 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आशीष कुमार पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम आजमपुर-मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उप0नि0 श्री नत्थुलाल थाना दोघट
2- का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 11-07-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 703/22 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित एक चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से फैक्ट्री से चोरी किया हुआ लोहे का सामान बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 11-07-2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री प्रदीप शर्मा निवासी एसडीएम कम्पाउण्ड कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1-शाहरुख पुत्र मेहरबान निवासी सितारा मस्जिद के पास कस्बा बागपत व 2- साहिल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत ने उसकी फैक्ट्री इण्डस्ट्रियल एरिया बागपत से लोहे का सामान 01 घन, 02 चाबी, 02 पाने, 02 छुरी, 01 गंडासा, 02 डस्ट पैन, 04 छोटी रोड, 01 पाईप चौकोर, 01 क्लिप चोरी कर लिया है। वादी व जनता के लोगों द्वारा उपरोक्त अभियुक्त शाहरुख को पकडकर थाने लाया गया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरुख पुत्र मेहरबान निवासी सितारा मस्जिद के पास कस्बा बागपत को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से फैक्ट्री से चोरी किया हुआ लोहे का सामान 01 घन, 02 चाबी, 02 पाने, 02 छुरी, 01 गंडासा, 02 डस्ट पैन, 04 छोटी रोड, 01 पाईप चौकोर, 01 क्लिप बरामद किया गया। अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 703/2 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.शाहरुख पुत्र मेहरबान निवासी सितारा मस्जिद के पास कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- फैक्ट्री से चोरी किया हुआ लोहे का सामान 01 घन, 02 चाबी, 02 पाने, 02 छुरी, 01 गंडासा, 02 डस्ट पैन, 04 छोटी रोड, 01 पाईप चौकोर, 01 क्लिप (सम्बन्धित मु0अ0सं0 703/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 184 अजय कुमार।

2-का0 889 रविकान्त।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 11-07-2022**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 698/22 धारा 354बी/323/504/506 भादवि व 7/8 पोस्को अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 698/22 धारा 354बी/323/504/506 भादवि व 7/8 पोस्को अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.बिल्लू उर्फ फिरोज पुत्र लियाकत निवासी मौ0 मुगलपुरा नई बस्ती कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री विकास चौहान।

2- का0 647 प्रवीन भाटी

प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकड़ा **दिनाँक 11.07.2022**

थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 287/2022 धारा 352/323/504/506/308 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 10.07.2022 को थाना कोतवाली खेकड़ा पर वादी श्री मोनू पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम बसी थाना कोतवाली खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सोनू पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करते हुए जानलेवा हमला कर सिर व हाथ में गम्भीर चोट पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खेकड़ा पर मु0अ0सं0 287/22 धारा 352/323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 287/22 धारा 352/323/504/506/308 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सोनू पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम बसी थाना कोतवाली खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मंजीत कुमार थाना कोतवाली खेकड़ा।
2. का0 217 राधेश्याम थाना कोतवाली खेकड़ा।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 11.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1. भूरा पुत्र महबूब निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिह चौहान थाना सिंघावली अहीर
2. का0 48 आकाश थाना सिंघावली अहीर
3. का0 13 मुकेश थाना सिंघावली अहीर

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 11.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 238/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 238/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सुहेब पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिह थाना सिंघावली अहीर

2-है0का0 301 हरिओम थाना सिंघावली अहीर

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 11-07-2022**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 245/22 धारा 452/354/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 10.07.2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री बिजेन्द्र पुत्र स्व0 आत्माराम शर्मा निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त शिवम पुत्र विनोद निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवली बागपत जनपद बागपत के द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की लडकी के साथ छेडछाड करना व विरोध करने पर गाली देना व शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देना। वादी द्वारा जनता की मदद से अभियुक्त शिवम को मौके पर पकड कर थाने लाया गया। थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम पुत्र विनोद निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 245/22 धारा 452/354/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शिवम पुत्र विनोद निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-है0का0 203 उमेश कुमार